



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05032026-270679
CG-DL-E-05032026-270679

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1098]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 3, 2026/फाल्गुन 12, 1947

No. 1098]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 3, 2026/PHALGUNA 12, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मार्च, 2026

का.आ. 1150(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गयी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट हाई स्पीड एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड हाईवे पानीपत से गोरखपुर सेक्शन के किमी. 464+044 से किमी. 508+414 (पैकेज- 9) तक के भुखण्ड के संबंध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चार/छह लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन कि तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-Greenfield Highway तक की भूमिका अर्जन।

क्रमिक संख्या 1	सक्षम प्राधिकारी 2	भूमि का विवरण 3	राज्य 4	जिले का नाम 5	तालुक का नाम 6	गांव का नाम 7
1	अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)/ विशेष भूमि अध्याप्ति	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या Greenfield Highway	उत्तर प्रदेश	सीतापुर	विसवां	1 अजयपुर 2 साऊखेडा 3 कनकारी

	अधिकारी, सीतापुर	के कि.मी 464.044 से कि.मी 477.545 तक				4	भिठौली
2	विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, बहराइच	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या Greenfield Highway के कि.मी 477.545 से कि.मी 508.414 तक	उत्तर प्रदेश	बहराइच	महसी	1	पचदेवरी
						2	पूरे दिलदार सिंह
						3	मुवाफिकपुर
						4	हुसेनपुर

[फा. सं. 26013/1/DPRShamliGorakhpur/Pkg-9/2025/PIU-BRH]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 3rd March, 2026

S.O. 1150(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land for High Speed access controlled greenfield Highway Panipat to Gorakhpur Section from Km. 464+044 to Km. 508+414(Package-9) for building (4/6 lane, etc.), maintenance, management and operation in the State of UTTAR PRADESH.

SCHEDULE**Land acquisition on National Highway No. Greenfield Highway in the State of UTTAR PRADES**

Sl. No. 1	CALA 2	Stretch 3	State 4	District 5	Taluk/Mandal 6	Name of the Village 7
1	ADM (F/R)/SLAO, Sitapur	Greenfield Highway KM 464.044 TO KM 477.545	UTTAR PRADESH	SITAPUR	Biswan	1 Ajaypur 2 Sawkhera 3 Kankari 4 Bhitholi
2	SLAO, Bahraich	Greenfield Highway KM 477.545 TO KM 508.414	UTTAR PRADESH	BAHRAICH	Mahasi	1 Pachdevri 2 Pure Deldar Singh 3 Muwafikpur 4 Husenpur

[F. No. 26013/1/DPRShamliGorakhpur/Pkg-9/2025/PIU-BRH]

SHAIKH AMINKHAN, Director